न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **03/2022**. (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(ऋणी– बंधककर्ता)

1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा
पता– शिव कॉलोनी, वार्ड नं0 30, जिला बारां राजस्थान–325205
दूसरा पता:– प्लाट नं0 ए–17, खसरा नम्बर–1451, ग्राम एवं तहसील अटरू, जिला बारां (राजस्थान)

(सह–ऋणी)

2. श्रीमति छाया शर्मा पत्नी श्री महावीर प्रसाद शर्मा
पता– 168, शिव कॉलोनी, वार्ड नं0 30, बारां राजस्थान–325205
3. श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा
पता– खेड़लीगंज, अटरू जिला बारां राजस्थान–325205

(जमानती)

4. क्षितिज समुह सेवा संस्थान जरिये डायरेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा
पता:–नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान–325216

– अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:–
श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 14/2/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 09 नवम्बर 2015 को 8,40,,000/– रूपये (अक्षरे आठ लाख चालीस हजार रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के [illegible] हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा की सम्पत्ति** [illegible] **ए–17, खसरा नम्बर–1451, ग्राम एवं तहसील अटरू जिला बारां** [illegible] **वर्गफुट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में श्यामा बाई का मकान, पश्चिम** [illegible] **ए–16, दक्षिण में प्लॉट नं. ए–18 है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण [illegible] नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर [illegible] का और ऋण के भुगतान [illegible] व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक [illegible].11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 8,40,573/– (अक्षरे आठ लाख चालीस हजार पांच सौ तहतर रूपये) बकाया राशि दिनांक 18.12.2019 तक शेष देय है व दिनांक 19.12.2019 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के

जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:53 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 22.01.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा की सम्पत्ति प्लॉट नं0 ए–17, खसरा नम्बर–1451, ग्राम एवं तहसील अटरू जिला बारां जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में श्यामा बाई का मकान, पश्चिम में रोड़, उत्तर में प्लॉट नं0 ए–16, दक्षिण में प्लॉट नं. ए–18 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14/2/22 को सुनाया गया ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:53 IST
Reason: SelfAttested